

सिटीजन-चार्टर (CITIZEN-CHARTER)



वर्ष 2014-15

अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड
100/6 नैशविला रोड, देहरादून-248001
दूरभाष नं०:-0135-2655571, 2654871
फैक्स नं०:-0135-2655572

अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड का सिटिजन-चार्टर

1. **उददेश्य/प्रयोजन** :- विभाग द्वारा उत्कृष्ट जनसेवा प्रदान करने के उददेश्य/ प्रयोजन हेतु यह सिटिजन-चार्टर बनाया गया है।
2. **विभाग द्वारा प्रदत्त सेवायें** :-अर्थ एवं संख्या विभाग निम्नलिखित सेवायें प्रदान करता है:-
 - ❖ प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की नियमित समीक्षा करना तथा उसके निष्कर्षों से राज्य सरकार को अवगत कराना एवं परामर्श देना।
 - ❖ प्रदेश के आर्थिक नियोजन हेतु विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर आँकड़ों का एकत्रीकरण, प्रशोधन, विश्लेषण एवं प्रकाशन।
 - ❖ राज्य सरकार को नियोजन प्रक्रिया में वांछित सहयोग देना।
 - ❖ केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकतानुसार आँकड़ों की आपूर्ति।
 - ❖ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सांख्यिकीय कार्यों में सामान्जस्य स्थापित करना।
 - ❖ विकास कार्यों की प्रगति का संकलन, सत्यापन एवं अनुश्रवण।
 - ❖ जिला योजना की संरचना एवं अनुश्रवण।
3. **विभाग द्वारा सम्पादित कार्य**:- उक्त प्रस्तर-2 में दर्शाये गए उददेश्यों की पूर्ति के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य नियमित रूप से उल्लिखित समयावधि के अन्तर्गत सम्पादित किए जाते हैं :-

क्र० सं०	सम्पादित कार्य का विवरण	समयावधि
1	2	3
1.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण :- रा०प्र०स० संगठन, भारत सरकार से समन्वय रखते हुए प्रतिदर्श इकाइयों में प्रत्येक वर्ष सर्वेक्षण कार्य कराया जाता है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का संकलन, परिनिरीक्षण तथा विश्लेषण कर परिणाम प्राप्त किये जाते हैं। केन्द्रीय शासन की आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण के विषय का चुनाव रा०प्र०स० संगठन द्वारा किया जाता है।	वार्षिक
2.	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण :- रा०प्र०स० संगठन भारत सरकार से समन्वय रखते हुए अधिनियम 1948 के अन्तर्गत प्रदेश के पंजीकृत कारखानों में पूंजी विनियोग, रोजगार, मजदूरी, प्रयुक्त ईंधन, कच्चा माल, उत्पाद एवं विनिर्माण द्वारा आवर्धित मूल्य आदि से सम्बन्धित आंकड़े संग्रह कराये जाते हैं। इस प्रकार संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण कर परिणाम प्राप्त किये जाते हैं। यह कार्य नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष कराया जाता है।	वार्षिक

क्र० स०	सम्पादित कार्य का विवरण	समयावधि
1	2	3
3.	<p>भवन निर्माण सम्बन्धी आंकड़े:- यह साँख्यिकीय विवरणी / अनुसूची प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई द्वारा 25 लाख रुपये या इससे अधिक कुल लागत वाली सभी चालू/नई परियोजनाओं के लिये अलग-अलग सभी केन्द्र /राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की निर्माण एजेसियों जैसे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/सैनिक इंजीनियरों सेवा/रेलवे/पी एण्ड टी/लोक निर्माण विभागों/ विकास प्राधिकरणों/आवास बोर्ड/नगर पालिकाओं आदि एवम केन्द्र/राज्यों के सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा भरी जानी है। वे सारी परियोजनाएं जो ली गयी/चालू हैं, जिसकी कुल लागत रुपये 25 लाख से कम है उन सभी के लिये निल (शून्य) सूचना भेजी जानी है। उन सभी परियोजनाओं के लिये अलग-अलग विवरणी भरी जानी है। उन सभी परियोजनाओं के लिये अलग-अलग विवरणी भरी जानी है, जिनकी लागत रुपये 25 लाख से अधिक हो, चाहे उन प्रत्येक परियोजना की लागत कुछ भी है। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों की सीमा के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में निर्मित होने वाली निजी भवनों के आँकड़ें, अनुसूची-2 में संग्रह कराये जाते हैं।</p>	वार्षिक
4.	<p>भाव संग्रह :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नगरीय फुटकर भाव:-प्रत्येक जनपद मुख्यालय में स्थित नगरों से चयनित 131-वस्तुओं के मासिक भावों का नियमित रूप से संग्रह कराया जा रहा है। 2. ग्रामीण फुटकर भाव:- प्रत्येक विकास खण्ड के चयनित एक-एक ग्राम, बाजार से आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव नियमित रूप से प्रत्येक माह संग्रह कराये जाते हैं, जिनका जनपद स्तरीय संकलन भी कराया जाता है। 3. 47 आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव:- अल्मोड़ा तथा जनपद-पौड़ी के श्रीनगर केन्द्र से प्रत्येक सप्ताह 47 वस्तुओं के फुटकर भाव संग्रह कराये जा रहे हैं। 4. आयुर्वेदिक दवाओं के भाव:- गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी हरिद्वार आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करती है। इन वस्तुओं के मासिक भाव सूचकांक बनाने हेतु संग्रह कराये जा रहे हैं। 5. ऊन के भाव:- ऊन के मासिक भाव एक मात्र चयनित केन्द्र अल्मोड़ा से संग्रह कराये जा रहे हैं। 6. चूना व सीमेण्ट के भाव:- देहरादून केन्द्र से चूना तथा उधमसिंह नगर से सीमेण्ट के भाव संग्रह कराये जा रहे हैं। 7. रेशम कोया:- रेशम कोया के भाव देहरादून केन्द्र से संग्रह कराये जा रहे हैं। 	<p>मासिक</p> <p>मासिक</p> <p>साप्ताहिक</p> <p>मासिक</p> <p>मासिक</p> <p>साप्ताहिक</p>

क्र० स०	सम्पादित कार्य का विवरण	समयावधि
1	2	3
	<p>8. पशुजन्य पदार्थों के थोक भाव:- देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल तथा अल्मोड़ा से पशुजन्य पदार्थों के मासिक भाव संग्रह कराये जा रहे हैं।</p> <p>9. भवन निर्माण संबंधी सामग्री के भाव:- समस्त जनपद मुख्यालय स्थित नगरों से भवन निर्माण सम्बन्धी मुख्य-मुख्य वस्तुओं के भाव, भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूची में त्रैमासिक रूप से संग्रह कराये जा रहे हैं।</p>	<p>मासिक</p> <p>मासिक</p> <p>त्रैमासिक</p>
5.	<p>मजदूरी की दरें:-</p> <p>1. <u>नगरीय अमानी मजदूरी की दरें:-</u> प्रत्येक जनपद मुख्यालय स्थित नगर तथा समस्त नगर निगम/नगर महापालिका/ नगरपालिका परिषदों से प्रत्येक माह अकुशल मजदूर, राज तथा बढ़ई की मजदूरी की दरों का संग्रह तथा जनपद स्तरीय संकलन कराये जा रहे हैं।</p> <p>2. <u>ग्रामीण मजदूरी की दरें:-</u> खेतिहर कार्यों में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के मजदूरों की दरें, प्रत्येक विकास खण्ड के चयनित एक-एक ग्राम से प्रतिमाह संग्रह तथा जनपद स्तरीय संकलन कराये जा रहे हैं। उक्त भाव कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं।</p> <p>3. <u>लोक निर्माण विभाग से मजदूरी की दरों का एकत्रीकरण:-</u> प्रत्येक त्रैमासान्त की अन्तिम तिथि- 30 जून, 30 सितम्बर तथा 31 दिसम्बर तथा 31 मार्च के अनुसार प्रत्येक जनपद मुख्यालय स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय से निर्माण कार्यों में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें संग्रह कराये जा रहे हैं।</p>	<p>मासिक</p> <p>मासिक</p> <p>त्रैमासिक</p>
6.	नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक:- समस्त जनपदों से प्रत्येक माह संकलित कराये जा रहे हैं।	मासिक
7.	स्थानीय निकायों का आय व्यय तथा पूंजी व्यय तथा रोजगार:- राज्य के जल संस्थानों तथा प्राधिकरणों से वार्षिक रूप से आय-व्यय पूंजी-व्यय तथा रोजगार संबंधी आंकड़े संग्रह तथा संकलित कराये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कर्मचारी सम्बन्धी विवरण सभी स्थानीय निकायों से संग्रहित किया जा रहा है।	वार्षिक
8.	स्थानीय निकायों के आय व्यय का आर्थिक एवं कार्य संबंधी वर्गीकरण:- प्रदेश के समस्त नगरीय स्थानीय निकायों से 13वें वित्त आयोग के अनुसार नवीन प्रारूप पर शत प्रतिशत वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं	वार्षिक

क्र० स०	सम्पादित कार्य का विवरण	समयावधि
1	2	3
	2013-14 के आय-व्यय के आंकड़े संग्रहित किये जा रहे हैं। ग्रामीण पंचायती राज स्थानीय निकायों से वर्ष 2011-12 के 30 प्रतिशत निकाय तथा वर्ष 2012-13 में 30 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकाय एवं वर्ष 2013-14 के 40 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकाय से आय-व्यय के आंकड़े संग्रहित किये जा रहे हैं।	
9.	<p>बीस सूत्रीय कार्यक्रम:-</p> <p>1. अनुश्रवण:- जनपद मण्डल तथा राज्य स्तर पर प्रत्येक माह बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति संकलित कर जनपदवार तथा विभागवार रैंकिंग रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है।</p> <p>2. समीक्षा:- जनपद तथा राज्य स्तर पर क्रमशः जनपद तथा शासन स्तरीय बैठकों का आयोजन कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति हेतु नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।</p> <p>3. सत्यापन:- मा0 उपाध्यक्ष बीस सूत्रीय कार्यक्रम के साथ जनपद/विकासखण्डों में भ्रमण कर योजनाओं का सत्यापन तथा बैठकें आयोजित कर विकास कार्यों के अवरोधों का स्थल पर ही यथा सम्भव निराकरण कराया जा रहा है।</p> <p>4. टास्कफोर्स:- विकास कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा फर्जी कार्यों को हतोत्साहित करने हेतु विकास कार्यों के स्थलीय सत्यापन के लिए प्रत्येक मण्डल/जनपद/विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों की टास्कफोर्स कमेटी का गठन किया गया है।</p> <p>5. समितियों का गठन:- बीस सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य, जनपद तथा विकासखण्ड स्तर पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है।</p> <p>6. लाभार्थियों की सूची का प्रकाशन:- बीस सूत्रीय कार्यक्रम एक समयबद्ध कार्यक्रम है इसलिए प्रत्येक माह विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रगति के अनुसार पूर्ण विवरण के साथ लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध कराना तथा प्रकाशन कराया जाना अनिवार्य है। नियमानुसार प्रत्येक विभाग द्वारा प्रकाशित लाभार्थियों की सूची विकासखण्ड, जनपद, मण्डल तथा राज्य स्तर पर क्रमशः विकासखण्ड कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय, उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या के कार्यालय तथा संयुक्त निदेशक, बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यालय में व्यवस्थित रखी जाती हैं। सम्बन्धित विभाग का उत्तरदायित्व है कि जनप्रतिनिधियों/जनसाधारण की आवश्यकतानुसार उक्त सूचियां उपलब्ध कराये। उपयोग कर्ताओं को पूर्ण किये सामुदायिक कार्यों एवं लाभार्थियों की सूचियों में कोई शंका होने पर उसका समाधान</p>	<p>मासिक</p> <p>मासिक</p> <p>समयानुसार</p> <p>मासिक</p> <p>वार्षिक</p> <p>मासिक</p>

क्र० स०	सम्पादित कार्य का विवरण	समयावधि
1	2	3
	संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/अर्थ एवं संख्याधिकारी/उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या/संयुक्त निदेशक, बीस सूत्रीय कार्यक्रम से कराया जा सकता है।	
10.	वार्षिक जिला योजना का निर्माण:- प्रति वर्ष बजट प्राविधान से पूर्व सन्दर्भित वर्ष की जिला योजना मा० प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदित करवाकर राज्य योजना आयोग को प्रेषित की जाती है।	वार्षिक
11.	सांख्यिकी पत्रिका:- प्रत्येक वर्ष विकास खण्डवार विभिन्न मदों पर वार्षिक सांख्यिकीय पत्रिका जनपद/मण्डल स्तर पर तैयार की जाती है। यह पत्रिका नीति निर्माताओं हेतु महत्वपूर्ण प्रकाशन है।	वार्षिक
12.	आर्थिक समीक्षा:- राज्य के गत वर्ष के आय-व्यय के अनुसार विभिन्न विभागों की उपलब्धि एवं आगामी वर्ष हेतु प्राविधानित लेखा विवरण दिया जाता है। राज्य आय अनुमान एवं राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं वर्तमान मुख्य-मुख्य कार्यों के विवरण का उल्लेख किया जाता है।	वार्षिक
13.	जनपद/मण्डल/राज्य एक दृष्टि :- भौगोलिक स्थिति एवं मुख्य-2 अवस्थापनाओं का विवरण दिया जा रहा है।	वार्षिक
14.	आर्थिक गणना:- प्रत्येक पांच वर्ष बाद भारत सरकार के मार्ग निर्देशानुसार आर्थिक गतिविधियों से सम्बन्धित आंकड़ें एकत्रित एवं संकलित कर भारत सरकार को भेजे जाते हैं।	पंचवार्षिक
15.	सामुदायिक विकास कार्य:- प्रत्येक माह नियमित रूप से ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण मदों का विकास खण्ड, जनपद, एवं मण्डल स्तरीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर राज्य स्तरीय संकलन किया जाता है। विकास कार्यों से सम्बन्धित सूचनाओं के प्रवाह में गति लाने के लिए एन०आई०सी० के माध्यम से सूचनाओं के मूल स्रोत अर्थात् विकासखण्डों से विभिन्न स्तरों पर सम्प्रेषण की व्यवस्था की गयी है।	मासिक
16.	राज्य आय अनुमान:- केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार से दिशा निर्देशों के अनुसार उत्तराखण्ड में राज्य के आय के अनुमान प्रथम क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र से सम्बन्धित मदों के आंकड़े एकत्रित कर राज्य के आय के अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।	वार्षिक
17.	ग्रामवार आधारभूत आंकड़े :- 31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्रदेश के समस्त राजस्व ग्रामों से आधारभूत आंकड़ों का वार्षिक संग्रह कराने के उपरान्त विकासखण्ड तथा जनपद स्तर पर संकलन कार्य कराया जा रहा है।	वार्षिक
18.	जनपद/मण्डल/राज्य स्तर पर किये जाने वाले प्रकाशन :- 1. प्रत्येक जनपद से सांख्यिकीय पत्रिका का प्रकाशन। 2. प्रत्येक जनपद से सामाजिक आर्थिक समीक्षा का प्रकाशन।	वार्षिक

क्र० स०	सम्पादित कार्य का विवरण	समयावधि
1	2	3
	<p>3. उत्तराखण्ड राज्य की सांख्यिकीय डायरी का प्रकाशन।</p> <p>4. जनपद/मण्डल/राज्य स्तर "एट ए ग्लॉस" का प्रकाशन।</p> <p>5. राज्य स्तर पर रा०प्र०स० के अन्तर्गत समाज आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त परिणामों का प्रकाशन।</p> <p>6. राज्य स्तर पर वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के आधार पर विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन का प्रकाशन।</p> <p>7. राज्य स्तर पर आर्थिक गणना के आंकड़ों का प्रकाशन।</p> <p>8. राज्य स्तर पर स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजीव्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी सूचनाओं के विश्लेषण सम्बन्धी प्रकाशन।</p> <p>9. राज्य आय अनुमान के आंकड़ों का प्रकाशन।</p> <p>10. कर्मचारी संगणना के आंकड़ों का प्रकाशन।</p> <p>11. राज्य स्तर पर लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत राजकीय भवन निर्माण कार्यों में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरों के विश्लेषण का प्रकाशन।</p> <p>12. राज्य स्तर पर प्रत्येक जनपद मुख्यालय में प्रतिमाह संग्रहित नगरीय फुटकर भावों के संकलन सम्बन्धी प्रकाशन।</p>	<p>वार्षिक</p> <p>वार्षिक</p> <p>वार्षिक</p> <p>वार्षिक</p> <p>वार्षिक</p> <p>पंचवार्षिक</p> <p>वार्षिक</p> <p>वार्षिक</p> <p>वार्षिक</p> <p>वार्षिक</p>
19.	जिला विकेन्द्रीकृत योजना: — प्रत्येक जनपद द्वारा जिला योजना की प्रति माह विभिन्न कार्यदायी विभागों से प्रगति एकत्रित कर संकलित की जाती है तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रति माह तथा मा० प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में प्रत्येक त्रैमास में प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है।	मासिक
20.	वार्षिक जिला योजना का निर्माण: — प्रति वर्ष आगामी वर्ष हेतु वार्षिक जिला योजना की संरचना की जाती है।	वार्षिक
21.	विकास योजनाओं का मूल्यांकन: — जनपद स्तर पर जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत वर्ष में दो चयनित योजनाओं के अन्तर्गत कराये गए कार्यों का शत प्रतिशत मूल्यांकन अध्ययन किया जाता है।	मासिक
22.	गैर पारिवारिक संस्थाओं से व्यय सम्बन्धी आंकड़े: — राज्य स्तर पर प्रदेश की समस्त गैर पारिवारिक संस्थाओं से निर्माण/ढहाव/सुधार संबंधी व्यय के जनपदवार आंकड़े संग्रह कराये जा रहे हैं।	वार्षिक
23.	मुद्रणालयों पत्र पत्रिकाओं तथा प्रकाशन संबंधी आंकड़े: — राज्य स्तर पर 31 मार्च के अनुसार प्रदेश के समस्त जनपदों से मुद्रणालयों, प्रकाशनों एवं पत्र पत्रिकाओं के आंकड़े संग्रह कराये जा रहे हैं।	वार्षिक
24.	विकास कार्यों के निरीक्षण: — विकास कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नार्म निर्धारित करते हुए प्रत्येक जनपद के अर्थ एवं संख्याधिकारी से सामुदायिक विकास कार्यों के निरीक्षण तथा पायी गयी	मासिक

क्र० सं०	सम्पादित कार्य का विवरण	समयावधि
1	2	3
	विसंगतियों के निवारण हेतु संबंधित कर्मियों से अनुपालन सुनिश्चित कराये जा रहे हैं।	
25.	वि०ख०स्तरीय स०सां०अ० द्वारा स्थलीय सत्यापन:- विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिवेदित विकास कार्यों की प्रगति का यथासम्भव सत्यापन विकास खण्ड में कार्यरत स०सां०अ० द्वारा भी कराये जा रहे हैं।	मासिक
26.	रिक्त प्रपत्र तथा अनुसूचियों का मुद्रण:- क्षेत्रीय कार्यों में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के रिक्त प्रपत्र तथा अनुसूचियों का मुद्रण, फोटोलिथो प्रेस रूड़की, जनपद-हरिद्वार से कराकर विभिन्न जनपदों को आवश्यकता के अनुसार वितरित किये जा रहे हैं।	वार्षिक

4. **सम्पादित कार्यों के रखरखाव तथा उपलब्धता का विवरण:-** सम्पादित किए गए कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न सूचनायें निम्नलिखित अधिकारियों से सुगमता पूर्वक प्राप्त की जा सकती है :-

क्र० सं०	सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण	सम्बन्धित अधिकारी का नाम,पद, पता तथा दूरभाष नं०
1	2	3
(क)	जनपद स्तर :-	
1	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण	(1) श्रीमती बलवन्त सिंह परमार, अर्थ एवं संख्याधिकारी, देहरादून-0135-265231
2	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण	(2) श्री आर०के०अस्थाना, अर्थ एवं संख्याधिकारी, हरिद्वार-01334-239377
3	भवन निर्माण सम्बन्धी आंकड़े	(3) श्री वी०के० पुरी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, टिहरी गढ़वाल-01376-232075
4	नगरीय एवं ग्रामीण फुटकर भाव व मजदूरी दरें	(4) श्री दिनेश चंद्र बडोनी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरकाशी-01374-222292
5	नगरीय उपभोक्ता सूचकांक	(5) कु० चित्रा, अर्थ एवं संख्याधिकारी, पौड़ी गढ़वाल-01368-222088
6	स्थानीय निकायों का आय-व्यय तथा पूंजी व्यय तथा रोजगार	(6) श्री नन्दा सिंह, अर्थ एवं संख्याधिकारी, रुद्रप्रयाग-01364-233685
7	स्थानीय निकायों के आय-व्यय का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण	(7) श्री शिव चरण सिंह गुसाई, अर्थ एवं संख्याधिकारी, चमोली-01372-252229
8	बीस सूत्रीय कार्यक्रम	(8) श्री राजेन्द्र तिवाड़ी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, उधमसिंह नगर- 05944-250260
9	वार्षिक जिला योजना का निर्माण	
10	सांख्यिकीय पत्रिका	
11	आर्थिक समीक्षा	
12	जनपद/मण्डल/राज्य एक दृष्टि	
13	आर्थिक गणना	
14	सामाजिक समीक्षा	
15	समुदायिक विकास कार्य	
16	राज्य आय अनुमान	

17	ग्रामवार आधारभूत आंकड़े	(9) श्री अमित पुनेठा, अर्थ एवं संख्याधिकारी, नैनीताल-05942-248414
18	जनपद/मण्डल/राज्य स्तर पर किये जाने वाले प्रकाशन	(10) श्रीमती इला पंत, अर्थ एवं संख्याधिकारी, अल्मोड़ा-05962-230321
19	जिला विकेन्द्रीकृत योजना	(11) श्री डी0पी0 नौटियाल, अर्थ एवं संख्याधिकारी, बागेश्वर-05963-220725
20	विकास योजनाओं का मूल्यांकन	(12) श्री जगदीश चन्द्र जोशी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ़-05964-225143
21	गैर पारिवारिक संस्थाओं से व्यय सम्बन्धी आंकड़े	(13) अर्थ एवं संख्याधिकारी, चम्पावत -05965-230983
22	मुद्रणालयों पत्र पत्रिकाओं तथा प्रकाशन संबंधी आंकड़ें	
23	स0वि0अ0(सां0) द्वारा स्थलीय सत्यापन	
24	बीस सूत्रीय कार्यक्रम-लाभार्थियों की सूची	
क0 सं0	सूचना का विवरण	सम्बन्धित अधिकारी का नाम,पद, पता तथा दूरभाष नं0
1	2	3
(ख)	मण्डल स्तर :-	
1	सांख्यिकीय पत्रिका	(1) श्री निर्मल कुमार शाह, अर्थ एवं संख्याधिकारी, गढ़वाल मण्डल पौड़ी- गढ़वाल मण्डल से संबंधित जनपदों के लिए
2	सामाजार्थिक समीक्षा	
3	जिला योजना की मासिक प्रगति	
4	बीस सूत्रीय कार्यक्रम की मासिक प्रगति	
5	जनपद से प्राप्त विभिन्न विषयों की रिपोर्ट का परिनिरीक्षण	(2) श्री सुन्दर लाल, उप निदेशक, कुमायूं मण्डल हल्द्वानी-कुमायूं मण्डल से संबंधित जनपदों के लिए
6	बीस सूत्रीय कार्यक्रम-लाभार्थियों की सूची	
(ग)	निदेशालय स्तर:-	
1	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण	(1) श्री सुशील कुमार, अपर निदेशक।
2	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण	
3	भवन निर्माण सम्बन्धी आंकड़े	
4	नगरीय एवं ग्रामीण फुटकर भाव व मजदूरी दरें	(2) श्री पंकज नैथानी, संयुक्त निदेशक।
5	नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक	
6	स्थानीय निकायों का आय-व्यय तथा पूंजी व्यय तथा रोजगार	(3) डा0 मनोज कुमार पन्त, संयुक्त निदेशक।
7	स्थानीय निकायों के आय-व्यय का आर्थिक एवं कार्य संबंधी वर्गीकरण	
8	बीस सूत्रीय कार्यक्रम	(4) श्री गौरी शंकर पाण्डेय, प्रोग्रामर।
9	वार्षिक जिला योजना का निर्माण	
10	सांख्यिकीय पत्रिका	(5) श्री अब्बल सिंह बिष्ट, अर्थ एवं संख्याधिकारी।
11	आर्थिक समीक्षा	
12	जनपद/ मण्डल/ राज्य एक दृष्टि	
13	आर्थिक गणना	(6) श्री टी0एस0 अन्ना, अर्थ एवं संख्याधिकारी।

14	सामाजार्थिक समीक्षा	संख्याधिकारी ।
15	समुदायिक विकास कार्य	
16	राज्य आय अनुमान	(7) श्री मनीष राणा, अर्थ एवं संख्याधिकारी ।
17	ग्रामवार आधारभूत आंकडे	
18	जनपद/ मण्डल/ राज्य स्तर पर किये जाने वाले प्रकाशन	(8) श्री ललित कुमार आर्य, अर्थ एवं संख्याधिकारी
19	जिला विकेन्द्रीकृत योजना	
20	विकास योजनाओं का मूल्यांकन	
21	गैर पारिवारिक संस्थाओं से व्यय सम्बन्धी आंकडे	(9) श्रीमती रश्मि हलधर, अर्थ एवं संख्याधिकारी
22	मुद्रणालयों पत्र पत्रिकाओं तथा प्रकाशन संबंधी आंकडे	
23	स0वि0अ0(सां0) द्वारा स्थलीय सत्यापन	
24	बीस सूत्रीय कार्यक्रम-लाभार्थियों की सूची	(10) श्री सुलेख चन्द, अर्थ एवं संख्याधिकारी
25	सांख्यिकीय डायरी उत्तराखण्ड	
26	स्थलीय सत्यापन एवं वार्षिक मूल्यांकन सर्वेक्षण कार्य	
27	उत्तराखण्ड आंकड़ा सार	
28	अर्न्तजनपदीय तुलनात्मक अध्ययन का कार्य	
29	प्राविधिक रिक्त प्रपत्रों का मुद्रण	
30	क्षेत्र के सहायकों को आवंटित कार्य	
31	कार्यपूति वार्षिक दिग्दर्शिका/ सिटीजन चार्टर	
32	प्रावैधिक कार्यों की मासिक प्रगति तथा समीक्षा बैठक हेतु प्रावैधिक कार्यों की अधुनान्त स्थिति तैयार करना ।	
33	रोजगार/ बेरोजगार सर्वेक्षण	
34	औद्योगिक वस्तुओं के मासिक फुटकर भाव	
35	कृषि लागत एवं मूल्य सूचकांक सम्बन्धी कार्य	
36	कृषि मंत्रालय भारत सरकार को श्रम की दरों का प्रेषण	
37	विभागयी कार्यों की प्रगति तथा तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन म0म0राज्यपाल/ मा0 मुख्यमंत्री/ शासन/ सूचना विभाग को प्रेषण	
38	उत्तराखण्ड/ हिमांचल-तुलनात्मक अध्ययन	
39	पर्यावरण सांख्यिकी सेल	
40	राज्य के बजट का वर्गीकरण	
41	सी0एम0आई0ई0 से समन्वय का कार्य	
42	पूंजी निर्माण से सम्बन्धित कार्य	
43	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	
44	राज्य के विभिन्न विभागों में सांख्यिकीय	

पता :-

अर्थ एवं संख्या निदेशालय, 100/6 नैशविला रोड,

देहरादून-248001

दूरभाष :- 0135-2655571, 2654871,

2655572

फैक्स नं0 :- 0135-2712604

	गतिविधियों के आंकड़े तैयार करना	
45	जे0पी0एस0एसोसिएट/ भारतीय सांख्यिकी सुदृढीकरण	
46	केन्द्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठनों की कान्फ्रेन्स (COCSSO)	
47	विभाग के विभिन्न कार्यों के कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग तथा आंकड़ा विधायन के समस्त कार्यों का सम्पादन एवं निर्देशन	
48	विभाग के समस्त कम्प्यूटर तथा तद्सम्बन्धी साफ्टवेयर का रख-रखाव का पर्यवेक्षण तथा निर्देशन	
49	कम्प्यूटर सम्बन्धी प्रशिक्षण	
50	सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्य	
क0 सं0	सूचना का विवरण	सम्बन्धित अधिकारी का नाम,पद, पता तथा दूरभाष नं0
1	2	3
(घ)	बीस सूत्रीय कार्यक्रम :-	
1	बीस सूत्रीय कार्यक्रम का राज्य स्तरीय जनपदवार मासिक प्रतिवेदन	(1) श्रीमती गीतांजली शर्मा, शोध अधिकारी, बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग 17/2, प्रकाश विहार, धर्मपुर, देहरादून। दूरभाष:-0135-2669154 फैक्स नं0:-0135-2669154
2	बीस सूत्रीय लाभार्थियों की सूची	
3	बीस सूत्रीय कार्यक्रम- स्थलीय सत्यापन की रिपोर्ट	
4	बीस सूत्रीय कार्यक्रम- कार्यान्वयन समिति के राज्य, मण्डल, जनपद तथा विकास खण्ड स्तर के जन प्रतिनिधियों की सूची	
5	बीस सूत्रीय कार्यक्रम- राष्ट्रीय स्तर पर संकलित अन्तरराज्यीय प्रगति का तुलनात्मक विवरण तथा रैंकिंग	
		(2) श्री जी0 सी0 चंदोला शोध अधिकारी बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग 17/2, प्रकाश विहार, धर्मपुर, देहरादून। दूरभाष:-0135-2669154 फैक्स:- 0135-2669154

5. **विभागीय सूचनाओं की उपलब्धता:-** कार्य दिवस में 10:00 बजे पूर्वाह्न से सांय: 5:00 बजे तक कार्यालय से सूचनायें प्राप्त की जा सकती है। सांय 5:00 बजे के बाद कार्यालय बन्द होने के उपरान्त भी सूचनायें इण्टरनेट की वैबसाइट:- www.ua.nic.in पर देखी जा सकती है।

6. **परिवाद (शिकायत) निवारण प्रणाली:-** अर्थ एवं संख्या विभाग के प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि वह वांछित सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु सौजन्यता पूर्वक सहायता प्रदान करें। इसके उपरान्त भी यदि इस सम्बन्ध में प्रतीत हो कि वांछित सूचनायें उक्त

मानदण्डों के अनुसार नहीं दी जा रही हैं, तो आपकी शिकायत/सुझावों का स्वागत है। शिकायतों के पंजीकरण हेतु निम्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है:-

क्र० सं०	परिवाद का क्षेत्र	अधिकारी का नाम व पद	पता व दूरभाष
1	2	3	4
1	यदि जनपद स्तरीय हों	(1) गढ़वाल मण्डल के जनपदों हेतु :- श्री निर्मल कुमार शाह, अर्थ एवं संख्याधिकारी, गढ़वाल मण्डल पौड़ी (2) कुमायूं मण्डल के जनपदों के लिए:- श्री सुन्दर लाल, उप निदेशक, कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी	विकास मार्ग पौड़ी-01368-222362 हल्द्वानी-05946-222465
2	यदि जनपद तथा मण्डल स्तरीय हों	निदेशक अर्थ एवं संख्या उत्तरांचल-देहरादून	100/6 नैशविला रोड, देहरादून-248001 दूरभाष:-0135-2655571, 2654871, 2655572 फैक्स नं०-0135-2712604
3	यदि जनपद तथा मण्डल स्तरीय बीस सूत्रीय कार्यक्रम से सम्बन्धित हों	निदेशक, अर्थ एवं संख्या	17/2, प्रकाश विहार, धर्मपुरं, देहरादून दूरभाष:-0135-2669154 फैक्स नं०-0135-2669154
4	यदि निदेशालय स्तरीय हों	सचिव नियोजन उत्तरांचल शासन, देहरादून।	सचिवालय, देहरादून दूरभाष:-0135-2712055

7. **ग्राहक सेवा केन्द्र**:-शिकायतों/कमियों के निस्तारण हेतु अर्थ एवं संख्या निदेशालय में विकेन्द्रीयकृत ग्राहक सेवा केन्द्र के स्थापना, सूचना के अधिकार सम्बन्धी कक्ष के साथ-साथ की जा चुकी हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था प्रत्येक मण्डल, जनपद तथा बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिष्ठान में भी की गई हैं।

8. **शिकायतों के निस्तारण हेतु निर्धारित कालावधि**:- आवेदनकर्ता द्वारा शिकायत सम्बन्धी पत्र किसी भी कार्य दिवस में दी जा सकती है तथा 30 दिन के अर्न्तगत निस्तारण की व्यवस्था की जा चुकी है।

9. **आँकड़ों/सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं से ताल-मेल:-** सामान्यतः अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा एकत्रित किए जाने वाले आँकड़ों के विषय का निर्धारण, उपयोग के अनुसार मुख्यतः नीति-निर्माताओं, प्रशासकों, शोधकर्ताओं तथा नियोजकों द्वारा किया जाता है। प्रकाशित की जाने वाली सूचनाओं से सम्बन्धित पुस्तिकाओं में उपयोग कर्ताओं से सम्बन्धित प्रकाशन के सम्बन्ध में सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।

विभागीय तथा शासन स्तर पर संग्रह किए जाने वाले आँकड़ों को अधिक उपयोगी तथा सार्थक बनाने हेतु समय-समय पर आयोजित बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है।

10. **निम्न बिन्दुओं पर आपका सहयोग अपेक्षित है:-** सिटिजन चार्टर, विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाले सेवाओं की गुणवत्ता तथा उपयोगिता बढ़ाने के लिए आपका और हमारा एक संयुक्त प्रयास है। अतः इस कार्य हेतु निम्नानुसार सहयोग की अपेक्षा की जाती है :-

(1) अर्थ एवं संख्या विभाग के प्रत्येक जनपद/ मण्डल तथा राज्य स्तरीय कार्यालय में विभिन्न प्रकाशन सुगमता से उपलब्ध कराये जाते हैं। इन प्रकाशनों का अवलोकन करने के उपरान्त यदि आवश्यक समझा जाय, तो प्रकाशन की कमियों तथा उनके सुधार से सम्बन्धित विचार अधिकृत अधिकारी को अवगत कराये जा सकते हैं।

(2) कोई भी जन-समस्या जिसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है के अभिज्ञान हेतु विभाग द्वारा सर्वेक्षण तथा एकत्रित आँकड़ों के विश्लेषण के उपरान्त समस्या के समाधान हेतु आवश्यक सुझाव प्रदान किए जा सकते हैं।

(3) समय-समय पर शासन द्वारा विभिन्न विकास कार्य कराये जाते हैं। यदि उनकी गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में कोई शंका हो तो विभाग द्वारा उन कार्यों के स्थलीय सत्यापन की व्यवस्था है, परन्तु इस प्रकार की शंका शासन तक पहुंचनी आवश्यक है, ताकि शासन के निर्देशानुसार विभाग द्वारा चिन्हित विकास कार्यों का मूल्यांकन कराते हुए शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु सुझाव उपलब्ध कराये जा सकें।

(4) विभिन्न विषयों पर सर्वेक्षण हेतु घर-घर जाकर जनता से सूचनायें एकत्र करनी होती है। प्राप्त सूचनायें पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है तथा कहीं पर भी साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। अतः अपेक्षा है कि जब भी विभाग का कोई भी कर्मचारी सूचनायें प्राप्त करने हेतु आए, तो उन्हें निसंकोच सही-सही सूचनायें प्रदान की जाए, ताकि सर्वेक्षण के मूल उद्देश्य की पूर्ति हो सके। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि संग्रह की जाने वाली सूचनायें केवल सां० प्रयोजन हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। अन्य विभाग जैसे आयकर, व्यापार कर या किसी भी अन्य विभागों से इसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। ठीक इसी प्रकार विभिन्न संस्थाओं, कारखानों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से द्वितीयक सूचनायें एकत्र करने हेतु सम्बन्धित व्यक्ति विशेष से अपेक्षित है कि वह सही-सही सूचनायें प्रदान करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करे।

11. निर्देश पुस्तिका / हस्तपुस्तिका / ग्राहक सेवाविधि:-

- (1) सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत अर्थ एवं संख्या विभाग से सम्बन्धित विस्तृत पुस्तिकायें तीन खण्डों में प्रकाशित कराई जा चुकी हैं, जो कि प्रत्येक जनपद स्थित अर्थ एवं संख्याधिकारी, मण्डल स्थित उप निदेशक, राज्य स्तरीय अर्थ एवं संख्या निदेशालय, बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सचिवालय के नियोजन अनुभाग तथा राज्य सूचना आयोग उत्तराखण्ड में उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया उक्त कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों से सम्पर्क किया जाए।
 - (2) उर्पयुक्त कार्यालयों के दूरभाष नं० इस पुस्तिका के प्रस्तर-4 में अंकित किये गए हैं। इन दूरभाष नम्बरों पर ग्राहक सेवा उपलब्ध है।
 - (3) ग्राहक सेवा केन्द्र भी टेलीफोन नम्बरों के साथ प्रस्तर-4 में दर्शाये गए हैं।
- 12. अन्य सूचनायें:-** जैसा कि उक्त वर्णित है, अर्थ एवं संख्या विभाग का मुख्य कार्य प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का संग्रह, संकलन, विश्लेषण, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन है। इन पर आधारित प्रकाशन को अधिक उपयोगी तथा सार्थक बनाने हेतु हम निरन्तर प्रयासरत हैं।

आइए, इस सिटिजन चार्टर को सफल बनाने के लिए हम कन्धे से कन्धा मिला कर चलें।